



राजस्थान सरकार  
**निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान**

शास्त्री सर्कल, उदयपुर। दूरभाष: 0294-42415092

Web: www.mines.rajasthan.gov.in

Email: estt.uda.mg@rajasthan.gov.in



क्रमांक:-निदे/नियु/2/प-भर्ती/2024/ई-06066/

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

**--: नियुक्ति आदेश :-**








खान एवं भूविज्ञान विभाग के सर्वेयर के पद हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित सर्वेयर एवं खनि कार्यदेशक श्रेणी-द्वितीय सीधी भर्ती, 2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक: प.14(130)RSSB/अर्थना/खान.भू-विज्ञान/भर्ती/2024 राजकाज रेफ. 19227029 दिनांक 05.12.2025 से अंतिम रूप से चयन कर पदस्थापन की अनुशंसा किए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थियों (गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र) को राजस्थान खान एवं भूविज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर सर्वेयर के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 23,700/- प्रतिमाह, तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने उपरांत पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-10 में से अधोलिखित शर्तों के अध्यधीन कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

**(A) गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTSP)**



S. N.	RANK	ROLL NO	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GEN.	CAT	H_ CAT	SEL_ CAT	ALLOTTED POSTING OFFICE	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1	411184	HARISH BENIWAL	GANGA RAM BENIWAL	25-07-1994	M	OBC		GEN	ME BARMER	
2.	2	415166	SAURABH SINGH MEENA	GOPAL LAL MEENA	01-02-1993	M	ST		GEN	AME KOTPUTLI	
3.	3	411568	BABALU KUMAR MEENA	BATTILAL MEENA	05-02-1992	M	ST		GEN	ME KARALI	
4.	5	418189	MAHESH KUMAR SUMAN	BABU LAL SUMAN	05-06-1995	M	OBC		GEN	ME KOTA	
5.	6	411111	KHUSHWANT SINGH	JITENDRA SINGH RATHORE	25-01-2000	M	EWS		GEN	ME SOJATCITY	
6.	7	415063	MAHAVEER PRASAD SAINI	KANWARI LAL SAINI	13-01-1992	M	OBC		GEN	AME TONK	





7.	9	415460	INDAR KUMAR	MISHRI LAL	04-04-1997	M	SC		SC	ME SIKAR	
8.	10	411526	KAPIL DEV SWAMI	DHARMADAS SWAMI	06-09-1996	M	OBC		OBC	ME JODHPUR	
9.	12	412637	MUKESH KUMAR SAINI	RAMDEV SAINI	06-08-1994	M	OBC		OBC	ME JHUNJHUNU	
10.	14	410453	SAHADEV KASNIYAN	SHIV NARAYAN KASNIYAN	02-01-1996	M	OBC		OBC	AME DIDWANA	
11.	16	416236	MOHIT GUPTA	SURESH CHAND GUPTA	31-07-1995	M	EWS		EWS	ME JAIPUR	
12.	19	414158	NARENDRA KUMAR MEENA	RAMPHOOL MEENA	05-06-1998	M	ST		ST	ME JAIPUR	
13.	25	413342	ANKIT SINGH NIRWAN	RAJENDRA SINGH NIRWAN	13-10-2000	M	EWS		EWS	Sr. Geo. ALWAR	
14.	29	414899	YOGESH KUMAR	PADAM SINGH	07-01-1990	M	SC		SC	ME BHARATPUR	
15.	32	416559	JITENDRA KUMAR MEENA	CHIRANJEE LAL MEENA	21-05-1996	M	ST		ST	Sup.Geo. JAIPUR	
16.	34	412751	BHOLU MEENA	GAJANAND MEENA	05-11-2002	M	ST		ST	ME UDAIPUR	
17.	37	412996	RANU PARIHAR	PRABHAT PARIHAR	21-12-2001	F	OBC		GEN	ME BIKANER	

18.	48	417898	KRISHAN KUMAR GURJAR	REVRAJ GURJAR	15-07-1995	M	MBC		MBC	AME SAWAIMADHOPUR	
19.	53	410712	PANKAJ	GADUKA RAM	03-07-1995	M	SC		SC	ME JAISALMER	
20.	87	415574	RAJNI	LAKHAN LAL	12-10-2005	F	GEN		GEN	ME DHOLPUR	
21.	114	416086	APARNA AVASTHI	SATISH CHANDRA AVASTHI	13-11-2005	F	EWS		GEN	AME ROOPWAS	
22.	116	413452	SEEMA	BACHCHU SINGH	02-07-2003	F	OBC		OBC	ME ALWAR	
23.	211	414357	NEELAM	DEV NARAYAN	26-11-2001	F	SC		SC	AME KHETARI	
24.	1061	413984	RAJESH KUMAR GURJAR	KAMAL SINGH GURJAR	07-05-1983	M	GEN	EXM	GEN	AME DAUSA	

**(B) अनुसूचित क्षेत्र (TSP)**

S. N.	RANK	ROLL NO	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GEN.	CAT	H_ CAT	SEL_ CAT	ALLOTTED POSTING OFFICE	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	45	418810	MOHIT MENARIA	KAMALESH MENARIA	23-07-2002	M	GEN		GEN	Sr. Geo. BANSWARA	
2.	143	417472	HIMANSHU PATIDAR	RAMNARYAN PATIDAR	24-02-1994	M	OBC		GEN	ME PRATAPGARH	
3.	205	417726	BHARAT KUMAR DARJI	MANGI LAL DARJI	15-12-1997	M	OBC		GEN	AME SALUMBER	

4.	314	417296	MAHESH KATARA	RISMAL KATARA	24-02-2000	M	ST	ST	ME BANSWARA	
5.	434	418790	HEMENDRA KUMAR DENDOR	ROOPGAR LAL DENDOR	23-03-1994	M	ST	ST	AME RISHABHDEO	

उक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तों के अधीन की जा रही है :-

1. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति जिले में माह फरवरी, 2026 में आयोजित होने वाले **मुख्यमंत्री रोजगार मेले की दिनांक 28.02.2026 (दिनांक परिवर्तन होने पर पृथक से सूचित किया जावेगा)** को **उपस्थित रहना अनिवार्य है** एवं **पदस्थापन कार्यालय** में उक्त दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यग्रहण करना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यग्रहण करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वो ही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है। उक्त आधार पर अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान खान एवं भूविज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1960 और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन/आदेशों के अनुसार शासित होगी।
4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अधधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेंगी।
5. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. उक्त नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी तथा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
9. उक्त नियुक्तियों पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा (केन्द्रीय/राज्य/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि) में कार्यरत हैं, उन्हें कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने/त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही राज्य सरकार द्वारा जारी विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे। उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी वर्तमान में राजकीय सेवा (केन्द्रीय/राज्य/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि) में कार्यरत है, को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व नियोजक द्वारा नियमानुसार जारी कार्यमुक्ति/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश के साथ निदेशालय में कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हों, कार्यमुक्ति/त्यागपत्र स्वीकृति का आदेश साथ में नहीं होने पर कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं होगा। उक्त संबंध में यदि इस नियुक्ति आदेश में उल्लेखित दिनांक के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में,

- कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु, 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाना होगा।
11. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(5)डीओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अटैस्टेशन फॉर्म एवं स्व-घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए, उनका चयन निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा।
  12. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
  13. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कार्यग्रहण करने की तिथि से ही मान्य होगी।
  14. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्याधीन रहेगी।
  15. उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।
  16. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं तो कार्यग्रहण के उपरांत भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
  17. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों/घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
  18. दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने की स्थिति में उपर्युक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। कार्यग्रहण के समय सन्तान संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  19. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में राजस्थान खान एवं भूविज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1960 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्याधीन अवधारित होगी।
  20. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण के समय संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन का प्रमाण-पत्र एवं दो चरित्र प्रमाण-पत्र जो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नवीनतम तिथि के पूर्ववत जारी किए हुए हों, प्रस्तुत किए जावेंगे।
  21. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**(एम.पी.मीणा)**  
**निदेशक**

**प्रतिलिपि** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आदेश को अपलोड कराने का श्रम करावें।
2. संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।

3. वरिष्ठ निजी सचिव (निदेशक/अ.नि.प्र.), निदेशालय, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, उदयपुर।
5. संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान-जोन/भूविज्ञान-जोन/सतर्कता-मु.)/अधीक्षण खनि अभियन्ता-वृत्त एवं सतर्कता/अधीक्षण भूवैज्ञानिक-वृत्त।
6. अतिरिक्त निदेशक(आई.टी.), निदेशालय, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. संबंधित कार्यालयध्यक्ष।
8. स्ट्रेन्थ लिपिक/बजट अनुभाग/बिल लिपिक/एसीआर सेल, निदेशालय, उदयपुर।
9. संबंधित अभ्यर्थी।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक